[2019] 2 एस.सी.आर. 963

बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं ओ.आर.एस.

(2012 की सिविल अपील संख्या 2530)

मार्च 07, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972:

धारा 2(ई) - अपीलकर्ता देश का एक प्रतिष्ठित तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है - प्रतिवादी नंबर 4 सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता संस्थान में शामिल हुआ - सेवानिवृत्ति पर, उसने ग्रेच्युटी राशि के भुगतान के लिए दावा किया - ग्रेच्युटी के लिए पात्रता - आयोजित: धारा 2(ई) के तहत परिभाषित "कर्मचारी" की परिभाषा को 31.12.2009 को प्रकाशित ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 की संख्या 47) द्वारा 03.04.1997 से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था - में किए गए संशोधन के आलोक में, 03.04.1997 से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम का लाभ शिक्षकों को भी दिया गया - दूसरे शब्दों में, शिक्षकों को धारा 2(ई) में परिभाषित "कर्मचारी" के दायरे में लाया गया। 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम - प्रतिवादी संख्या 4 ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार है - ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009।

भारत का संविधान:

क़ानून की संवैधानिकता - अपीलकर्ता एक प्रमुख तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है - ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए अपीलकर्ता-संस्थान के एक शिक्षक द्वारा किया गया दावा - अपीलकर्ता ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 की संख्या 47) की प्रयोज्यता को चुनौती दी जिसके द्वारा शिक्षकों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2(ई) में परिभाषित "कर्मचारी" के दायरे में लाया गया था - चुनौती इस आधार पर थी कि 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 47 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। एक रिट याचिका, जो लंबित थी - माना गया: किसी भी रिट याचिका का लंबित होना अपने आप में संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को प्रभावित नहीं करता है, और न ही यह अपीलकर्ता (नियोक्ता) से ग्रेच्युटी राशि का दावा करने में किसी भी तरह से शिक्षक के अधिकार को प्रभावित करता

है। अधिनियम - यह केवल तभी होता है जब न्यायालय किसी क़ानून को संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर घोषित करता है, जिससे पार्टियों के अधिकारों पर इसके प्रभाव पर विचार करने का प्रश्न उठ सकता है और यह हमेशा न्यायालय द्वारा प्रदान की गई घोषणा और निर्देशों पर निर्भर करेगा। उस मामले में दिया गया - तत्काल मामले में ऐसा नहीं था - याचिका खारिज कर दी गई - ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 - धारा 2(ई)।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1. 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा में किए गए संशोधन के आलोक में, का लाभ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम को 03.04.1997 से शिक्षकों के लिए भी बढ़ा दिया गया था। दूसरे शब्दों में, शिक्षकों को 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" के दायरे में लाया गया था। [पैरा 28, 29]

अहमदाबाद प्रा. प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य **(2004) 1 एससीसी 755: [2004] 1 एससीआर 470 - अनुपयुक्त ठहराया गया।**

2. अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 47 की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय में एक रिट याचिका में चुनौती दी गई है, जो लंबित है। ऐसा केवल तभी होता है जब न्यायालय किसी क़ानून को संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर घोषित करता है, तब पार्टियों के अधिकारों पर इसके प्रभाव पर विचार करने का प्रश्न उठ सकता है और यह हमेशा न्यायालय द्वारा प्रदान की गई घोषणा और दिए गए निर्देशों पर निर्भर करेगा। उस मामले में। यहां ऐसा मामला नहीं है. [पैरा 32,34]

केस कानून संदर्भ

[2004] 1 एससीआर 470 को अनुपयुक्त पैरा 1 माना गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 2530।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.04.2008 से एल.पी.ए. 2007 की संख्या 53.

शम्बो नंदी, सुश्री एन. अन्नपूर्णानी, अपीलकर्ता के वकील।

प्रतिवादियों के वकील अनिल कुमार झा, सुनील रॉय।

न्यायालय का फैसला **अभय मनोहर सप्रे, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. 07.01.2019 को, इस न्यायालय ने अहमदाबाद प्राइवेट लिमिटेड के इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। प्राथमिक शिक्षक संघ बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2004) 1 एससीसी 755, जिसे अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, ने अपील की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

2. हालाँकि, इस अपील में आदेश की घोषणा के बाद, इस न्यायालय के ध्यान में यह आया कि अहमदाबाद प्राइवेट में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप। प्राथमिक शिक्षक संघ (सुप्रा) ने 31.12.2009 को 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया। 03.04.1997. इस अपील में दिनांक 07.01.2019 को आदेश पारित करते समय यह संशोधन हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था।

3. इसलिए, इस न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अपील को अपनी फाइल में ले लिया और इसे बोर्ड पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 09.01.2019 को अपील को तदनुसार आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद इस न्यायालय ने दिनांक 07.01.2019 के अपने आदेश पर रोक लगा दी और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> **“07.01.2019 को इस न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए और उसमें लगाए गए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया।**
>
> **आज, हमने इस मामले को स्वत: संज्ञान से सूचीबद्ध किया है। इसका कारण यह है कि अपील की सुनवाई के दौरान पीठ के संज्ञान में यह नहीं लाया गया था कि अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य (2004) 1 एससीसी 755 मामले में इस न्यायालय के फैसले, जिस पर अपील की अनुमति देने के लिए भरोसा किया गया था, ने संसद को अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा में संशोधन करने की आवश्यकता थी। (ख) दिनांक 03-04-1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से वर्ष 2009 की कुल परिपत्ति।**
>
> **दूसरे शब्दों में, यद्यपि परिभाषा को 2009 के अधिनियम संख्या 47 द्वारा 2009 में संशोधित किया गया था, फिर भी इसे 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया ताकि 03.04.1997 से क़ानून पुस्तक पर संशोधित परिभाषा लाई जा सके।**

धारा 2(ई) की परिभाषा में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था, इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था, हालांकि अपील में शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए इसकी प्रासंगिकता थी। इस कारण से, हम प्रथम दृष्टया निर्णय में त्रुटि पाते हैं और इसलिए, इस अपील में पारित हमारे दिनांक 07.01.2019 के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के इच्छुक हैं।

दिनांक 07.01.2019 का निर्णय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि मामले की उचित पीठ द्वारा दोबारा सुनवाई नहीं हो जाती।

रजिस्ट्री को इस मामले को यथाशीघ्र माननीय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इंदु मल्होत्रा की उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।"

4. उपरोक्त आदेश के आलोक में, निस्तारित अपील में उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना। दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें भी दाखिल कीं।

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और लिखित दलीलों सहित मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपने आदेश दिनांक 07.01.2019 को वापस लेने के इच्छुक हैं क्योंकि, हमारे विचार में, इसमें आदेश के प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटि है।

7. स्पष्ट त्रुटि यह है कि यह हमारे ध्यान में नहीं लाया गया कि संसद, अहमदाबाद प्राइवेट में इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (सुप्रा) ने 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" की परिभाषा में संशोधन किया था। हमारी राय में, इस संशोधन का इस अपील में शामिल मुद्दे पर सीधा असर पड़ा।

8. हमारे ध्यान में जो लाया गया वह केवल अहमदाबाद प्रा. में दिया गया इस न्यायालय का निर्णय था। प्राथमिक शिक्षक संघ (सुप्रा) ने यह तर्क देते हुए कहा कि इस अपील में शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं रह गया है और अपीलकर्ता के पक्ष में उत्तर दिया गया है। हमने यह निवेदन स्वीकार कर लिया।

9. हमारे विचार में, ऊपर उल्लिखित त्रुटि मामले के रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है क्योंकि सामग्री, बाद की घटना, जो अस्तित्व में आई, का इस अपील में शामिल विवाद पर सीधा असर पड़ा, उसे सामने नहीं लाया गया। अपील की सुनवाई के समय हमारा नोटिस। यह स्पष्ट त्रुटि है, जिसके कारण अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांक 07.01.2019 को आदेश पारित किया गया।

10. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम इस अपील में पारित अपने आदेश दिनांक 07.01.2019 को याद करते हैं। परिणामस्वरूप, अपील (2012 की सिविल अपील संख्या 2530) को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए उसकी मूल संख्या में बहाल किया जाता है।

11. अब हम अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

12. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 2007 के एलपीए संख्या 53 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.04.2008 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता द्वारा दायर एलपीए को खारिज कर दिया और इसकी पुष्टि की। 2005 के डब्लूपी संख्या 2572 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2007

13. इस अपील में शामिल विवाद छोटा है जैसा कि बुनियादी तौर पर बताए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

14. अपीलकर्ता देश का एक प्रतिष्ठित तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है। इसे "बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी" (बीआईटी) के नाम से जाना जाता है।

15. प्रतिवादी संख्या 4 16.09.1971 को सहायक प्रोफेसर के रूप में अपीलकर्ता-संस्थान में शामिल हुआ और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30.11.2001 को सेवानिवृत्त हुआ।

16. प्रतिवादी संख्या 4 ने तब अपीलकर्ता को एक अभ्यावेदन दिया और उसमें ग्रेच्युटी राशि के भुगतान के लिए प्रार्थना की, जो प्रतिवादी के अनुसार, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत अपीलकर्ता द्वारा उसे देय थी। हालांकि, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मांग की गई ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया।

17. इसलिए, प्रतिवादी नंबर 4 ने अपीलकर्ता के खिलाफ अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया और ग्रेच्युटी की राशि का दावा किया, जो उसके अनुसार, अधिनियम के तहत उसे देय थी।

18. आदेश दिनांक 07.09.2002 द्वारा, नियंत्रक प्राधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) ने प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को 10 की दर से ब्याज सहित 3,38,796/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी संख्या 4 को ग्रेच्युटी के लिए % प्रति वर्ष।

19. अपीलकर्ता ने व्यथित महसूस किया और अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। आदेश दिनांक 15.04.2005 द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता व्यथित महसूस कर रहा था और उसने मामले को एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में ले जाया। उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) ने दिनांक 12.01.2007 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया और अधिनियम के तहत पारित अधिकारियों के आदेशों को बरकरार रखा। इसके बाद अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। एलपीए को भी आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसने इस न्यायालय में अपीलकर्ता-संस्थान द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने को जन्म दिया है।

20. संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या नीचे की अदालतों का यह मानना उचित था कि प्रतिवादी नंबर 4 अधिनियम के तहत अपीलकर्ता (नियोक्ता) से ग्रेच्युटी राशि का दावा करने का हकदार था।

21. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री शम्बो नंदी और प्रतिवादी संख्या 1-3 के विद्वान वकील श्री अनिल कुमार झा और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील श्री सुनील रॉय को सुना।

22. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली।

23. जैसा कि ऊपर बताया गया है, विचाराधीन मुद्दा अहमदाबाद प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिए गए निर्णय का विषय था। प्राथमिक शिक्षक संघ (सुप्रा)। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(ई) में परिभाषित "कर्मचारी" शब्द की उस परिभाषा के आलोक में प्रश्न की जांच की थी। परिभाषा इस प्रकार है:

“2. (ई) 'कर्मचारी' का अर्थ किसी भी प्रतिष्ठान, कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी या दुकान में किसी भी कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल कार्य के लिए मजदूरी पर नियोजित कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु के अलावा) है, मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य, चाहे ऐसे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों, और चाहे ऐसा व्यक्ति प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत हो या नहीं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार के अधीन कोई पद रखता हो या एक राज्य सरकार और किसी अन्य अधिनियम या ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्रदान करने वाले किसी भी नियम द्वारा शासित होती है।"

24. निर्णय के पैरा 22 से 26 में यही कहा गया था:

“22. उपर्युक्त तीन शब्दों का अर्थ निकालने में, जो एक-दूसरे के साथ मिलकर उपयोग किए जाते हैं, नोसितुर ए सोसाइटी के निर्माण का नियम लागू किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ उस कंपनी द्वारा समझा जाना चाहिए जिसे वह रखता है। संसद के किसी अधिनियम में शब्दों का अर्थ उनके साथ तत्काल संबंध में पाए जाने वाले शब्दों के संदर्भ में करना निर्माण का एक वैध नियम है। इन तीनों शब्दों के वास्तविक क्रम से पता चलता है कि एक का अर्थ दूसरे से भिन्न होता है। नियम को अलग तरह से समझाया गया है: "संदिग्ध शब्दों का अर्थ उससे जुड़े शब्दों के अर्थ के संदर्भ में पता लगाया जा सकता है"। [न्यायमूर्ति जीपी सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत देखें, 8वां संस्करण, सिं. 8, प. 379.]

23. "अकुशल" शब्द "कुशल" शब्द का विपरीत है और "अर्ध-कुशल" शब्द एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता प्रतीत होता है जो दोनों श्रेणियों के बीच आता है अर्थात वह पूरी तरह से कुशल नहीं है और पूरी तरह से अकुशल भी नहीं है लेकिन उसके पास कुछ मात्रा है जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया है उसके लिए कौशल की। इसलिए, "अकुशल" शब्द को "कुशल" और "अर्ध-कुशल" शब्द से अलग करके नहीं समझा जा सकता है और इसे रोजगार की प्रकृति के बावजूद सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए समझा जा सकता है। यदि विधायिका अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को कवर करने का इरादा रखती है, तो परिभाषा खंड में रोजगार की श्रेणियों का विशिष्ट उल्लेख बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। परिभाषा खंड के किसी भी निर्माण से बचना होगा जो इसे अनावश्यक या निरर्थक बनाता है।

24. यह तर्क कि शिक्षकों को "अकुशल" या "कुशल" अभिव्यक्ति में शामिल माना जाना चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया होगा या ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अप्रशिक्षित हों। एक प्रशिक्षित शिक्षक को औद्योगिक क्षेत्र या सेवा न्यायशास्त्र में "कुशल कर्मचारी" के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। ऐसे विशेषण का प्रयोग आम तौर पर शारीरिक या तकनीकी कार्य करने वाले कर्मचारी के लिए किया जाता है। इसी प्रकार, शैक्षिक प्रतिष्ठानों में "अर्धकुशल" और "अकुशल" शब्दों को अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी की प्रकृति का वर्णन करने के रूप में नहीं समझा जाता है। हम इस प्रश्न पर दिए गए तर्कों को अधिक महत्व नहीं देते हैं कि क्या "कुशल", "अर्ध-कुशल" और "अकुशल" शब्द "मैनुअल", "पर्यवेक्षी", "तकनीकी" या "लिपिकीय" या उपरोक्त शब्दों के योग्य हैं। शब्द "कार्य" शब्द को योग्य बनाते हैं। भले ही सभी शब्दों को विच्छेदित रूप से या किसी अन्य तरीके से पढ़ा जाए, प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक परिभाषा खंड में दिए गए विभिन्न रोजगारों की प्रकृति के किसी भी विवरण का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देते हैं। प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक "कुशल", "अर्ध-कुशल", "अकुशल", "मैनुअल", "पर्यवेक्षी", "तकनीकी" या "लिपिकीय" कर्मचारी नहीं हैं। वे "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक" क्षमता में भी नियोजित नहीं हैं। कभी-कभी, भले ही वे शिक्षण के साथ-साथ अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में कुछ प्रशासनिक कार्य भी करते हों, क्योंकि उनका मुख्य काम शिक्षा प्रदान करना है, उन्हें "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक" क्षमता में नियोजित नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों को स्पष्ट रूप से "कर्मचारी" की परिभाषा में शामिल करने का इरादा नहीं है।

25. जब 1972 में अधिनियम पारित किया गया था तब विधायिका विभिन्न पिछले श्रम अधिनियमों में निहित "कर्मचारी" शब्द की विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के प्रति जागरूक थी। यदि उसका इरादा "कर्मचारी" की परिभाषा में सभी प्रकार के कर्मचारियों को शामिल करने का था, तो वह ऐसा कर सकती थी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एफ) में निहित व्यापक भाषा का उपयोग किया गया है, जो "कर्मचारी" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है "कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के काम, मैनुअल या अन्यथा में मजदूरी के लिए नियोजित है।" किसी प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके संबंध में..." 1972 के अधिनियम की धारा 2(ई) में "कर्मचारी" की परिभाषा में इतनी व्यापक भाषा का उपयोग न करना हमारे निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि शिक्षक स्पष्ट रूप से इस परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

26. हमारे निष्कर्ष को गलत नहीं समझा जाना चाहिए कि शिक्षक हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के एक बहुत ही महान पेशे में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ग्रेच्युटी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कई राज्यों में पहले से ही शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को ग्रेच्युटी लाभ देने के लिए अलग-अलग क़ानून, नियम और विनियम मौजूद हैं जो अधिनियम के तहत प्रदान किए गए ग्रेच्युटी लाभों की तुलना में कम या ज्यादा फायदेमंद हैं। यह विधायिका का काम है कि वह विभिन्न प्रतिष्ठानों में ऐसे शिक्षकों की स्थिति का संज्ञान ले जहां ग्रेच्युटी लाभ उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में उनके लिए एक अलग कानून के बारे में सोचें। इस पर विचार करना और निर्णय लेना पूरी तरह से विधायिका का विषय है।"

25. अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (सुप्रा) में दिए गए निर्णय ने संसद को 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 31.12.2009 को 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" की परिभाषा में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया।

26. यह 24.02.2009 को लोकसभा में पेश किए गए ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2009 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:

"वस्तुओं और कारणों का विवरण।"

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खदानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में लगे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करता है। उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) का खंड (सी) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग पर लागू करने का अधिकार देता है जिनमें दस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। , या बारह महीने से पहले किसी भी दिन नियोजित थे। तदनुसार, केंद्र सरकार ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले शैक्षणिक संस्थानों तक उक्त अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ा दिया था। 1080, दिनांक 3 अप्रैल 1997.

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन बनाम प्रशासनिक अधिकारी और अन्य [एआईआर 2004 सुप्रीम कोर्ट 1426] मामले में 2001 की सिविल अपील संख्या 6369, दिनांक 13 जनवरी, 2004 में अपने फैसले में कहा था कि यदि इसे 'कर्मचारी' की परिभाषा में सभी प्रकार के कर्मचारियों को शामिल करने

के लिए बढ़ाया गया था, तो इसमें इतनी व्यापक भाषा का उपयोग किया जा सकता था जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) में निहित है। 1952 जो 'कर्मचारी' को परिभाषित करता है, का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के काम, मैनुअल या अन्यथा, किसी प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में मजदूरी के लिए नियोजित है। यह माना गया था कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (ई) के तहत 'कर्मचारी' की परिभाषा में इतनी व्यापक भाषा का उपयोग न करना इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि शिक्षक स्पष्ट रूप से उक्त परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए उक्त अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' की परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2007 को 26 नवंबर, 2007 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था जिसने कुछ सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों की जांच करने के बाद, 3 अप्रैल, 1997 से संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों पर लागू किए गए थे।

4. तदनुसार, ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2007 को वापस ले लिया गया और एक नया विधेयक, अर्थात् ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2009 पूर्वव्यापी प्रभाव से 24 फरवरी, 2009 को लोकसभा में पेश किया गया। चौदहवीं लोकसभा भंग होने के कारण उक्त विधेयक निरस्त हो गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विधेयक लाना आवश्यक समझा गया।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नई दिल्ली;

12 नवंबर, 2009"

मल्लिकार्जुन खड़गे।"

27. धारा 2(ई) के तहत परिभाषित "कर्मचारी" की परिभाषा को 31.12.2009 को प्रकाशित ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 की संख्या 47) के माध्यम से 03.04.1997 से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। संशोधित परिभाषा इस प्रकार है:

"(ई) "कर्मचारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु के अलावा) जो मजदूरी के लिए नियोजित है, चाहे ऐसे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों, किसी भी प्रकार के काम में, मैनुअल या अन्यथा, किसी कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार या राज्य के अधीन कोई पद रखता हो सरकार और किसी अन्य अधिनियम या ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्रदान करने वाले किसी भी नियम द्वारा शासित होती है।"

28. 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा में किए गए संशोधन के आलोक में, भुगतान का लाभ ग्रेच्युटी अधिनियम को 03.04.1997 से शिक्षकों के लिए भी बढ़ा दिया गया था।

29. दूसरे शब्दों में, शिक्षकों को 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2009 के अधिनियम संख्या 47 में संशोधन करके ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (ई) में परिभाषित "कर्मचारी" के दायरे में लाया गया था।

30. 31.12.2009 को 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 47 के माध्यम से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में किए गए संशोधन का प्रभाव दो गुना था। सबसे पहले, अहमदाबाद प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। प्राथमिक शिक्षक संघ (सुप्रा) अब शिक्षकों के खिलाफ लागू नहीं होगा, जैसे कि इसका प्रतिपादन नहीं किया गया है, और दूसरा, शिक्षकों को 03.04.1997 से अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी की राशि का दावा करने का हकदार माना गया है।

31. हमारी सुविचारित राय में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में किए गए संशोधन के आलोक में**, अहमदाबाद प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय पर अपीलकर्ता** (नियोक्ता) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा जताया गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ (सुप्रा) पूरी तरह से गलत है और किसी भी तरह से अपीलकर्ता की मदद नहीं करता है। इसने अपना बंधनकारी प्रभाव खो दिया है।

32. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तब आग्रह किया कि 2009 के संशोधन अधिनियम संख्या 47 की संवैधानिक वैधता एक रिट याचिका में इस न्यायालय में चुनौती बी के तहत है, जो लंबित है।

33. जैसा भी हो, हमारे विचार में, किसी भी रिट याचिका के लंबित रहने से संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही यह अधिनियम के तहत अपीलकर्ता (नियोक्ता) से ग्रेच्युटी राशि का दावा करने में प्रतिवादी नंबर 4 (शिक्षक) के अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित करता है।

34. यह केवल तभी होता है जब न्यायालय किसी क़ानून को संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर घोषित करता है, तब पार्टियों के अधिकारों पर इसके प्रभाव पर विचार करने का प्रश्न उठ सकता है और यह हमेशा न्यायालय द्वारा प्रदान की गई घोषणा और निर्देशों पर निर्भर करेगा। उस मामले में दिया गया. अभी यहां ऐसी स्थिति नहीं है.

35. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जो विफल हो जाती है और अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 4 (शिक्षक) को देय 25,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।